मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक : 1125 / मानचित्र अनु0 / जोन सी / 09 दिनांक – 17/11/09

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

सेवा में,

कमान्डर श्री ए0के0 पाठक (डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन)
द्वारा एयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड एयर स्टेशन, रेस कोर्स,
नई दिल्ली–110003

विषय :– मानचित्र सं0 1094 / 09 की औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या 1094 / 09 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.11.2009 को तकनीकि स्वीकृति निम्न औपचारिकतायें पूर्ण कराने की शर्त के साथ प्रदान कर दी गयी है। अतः निम्न औपचारिकतायें 15 दिन के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

1. कुल देय शुल्क रू0 424522.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे।
2. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र उल्लेखित शर्तों / सुझावों का पालन करना होगा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. संरचना के भूकम्प के प्रति सुरक्षित होने के सम्बन्ध में किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रेक्चरल इंजीनियर का स्ट्रेक्चरल सैफ्टी के प्रमाण पत्र Anx-4, Anx-5, व Anx-6, व विस्तृत स्ट्रेक्चरल ड्राईंग N. B.C.-05, के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
4. रेन वाटर हार्विस्टिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा वर्तमान में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. शासनादेशों के क्रम में पेड़ लगवाने होंगे तथा वर्तमान में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. निर्माण कार्य पूर्ण होते ही पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा। वर्तमान मे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Extended Sanction Plan

कार्यालयः मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक [illegible] /मानचित्र–अनु0 / जोन–सी / 09–10 दिनांक [illegible] 2010

सेवा में,

कमाण्डर श्री ए0 के0 पाठक, (डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन),

द्वारा एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, एयर स्टेशन,

रेस कोर्स, नई दिल्ली–110003।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 20–08–2009 मानचित्र संख्या–1094 / 09 के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक / आवासीय भवन निर्माण हेतु मोहल्ला / कालोनी शताब्दीनगर योजना, मेरठ के सेक्टर–4बी पार्ट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियम के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ऑक्यूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ऑक्यूपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नकः– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपिः– अवर अभियन्ता प्रवर्तन खण्ड जोन–सी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,

Certified True Copy

15/4/15

(S S Yadav)
Commander
Project Director
AFNHB Meerut

Scanned by CamScanner